भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2188
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका हेतु अवसंरचना का विकास

2188. श्रीमती भारती पारधीः

श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों के निर्माण में उक्त सहायता ने क्या योगदान दिया है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपर्याप्त न्यायालय कक्षों, कर्मचारियों और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित अवसंरचना संबंधी कमियों की समस्या के समाधान के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : न्याय विभाग द्वारा राज्य सरकारों के संसाधनों में निर्धारित कोष साझाकरण प्रारूप में वृद्धि करने हेतु, वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं

के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पांच घटक हैं, जो इस प्रकार हैं: न्यायालय हॉल, आवासीय क्वार्टर, अधिवक्ताओं का कक्ष, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष तथा शौचालय परिसर।

योजना के आरंभ से अब तक 12,101.89 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है, जिसमें से 8,657.59 करोड़ रु. (71.54%) वर्ष 2014-15 से जारी की गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है। वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय भवन और 10,211 आवासीय इकाइयों से, उपलब्ध न्यायालय भवनों और आवासीय इकाइयों की संख्या क्रमशः 22372 (41.43% वृद्धि) और 19,851 (94.40% वृद्धि) तक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, 3,128 भवन और 2,772 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। भवनों और आवासीय इकाइयों की राज्यवार उपलब्धता का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

योजना प्रारंभ होने की तिथि से अब तक महाराष्ट्र राज्य को 1,099.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त राशि में से 700.17 करोड़ रुपये (63.67%) की धनराशि वर्ष 2014-15 से निर्गत की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 28.06 करोड़ रुपये की राशि महाराष्ट्र राज्य के लिए उद्दिष्ट की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में 2503 न्यायालय हॉल तथा 2202 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 560 न्यायालय हॉल तथा 144 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंग के रूप में भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास हेतु, ई-न्यायालय परियोजना वर्ष 2007 से एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-III (वर्ष 2023 से 2027 की अवधि हेतु) को सितम्बर 2023 में ₹7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। चरण-III के अंतर्गत, न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने तथा अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं न्यायाधीशों सहित विभिन्न हितधारकों हेतु सेवाओं के डिजिटलीकरण हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं।

ई- न्यायालय परियोजना चरण-III का एक घटक मुकदमा अभिलेखों की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण एवं डिजिटल संरक्षण है, जिसके लिए ₹2038.40 करोड़ की धनराशि उद्दिष्ट की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक उच्च न्यायालयों में 213.29 करोड़ पृष्ठों, और जिला न्यायालयों में 307.897 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के न्यायिक अभिलेखों के संरक्षण हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल न्यायालय 2.1 सॉफ्टवेयर को कागजरहित मोड में कार्य करने के लिए न्यायालयों के सहायतार्थ विकसित किया गया है।

ई-फाइल पद्धति (संस्करण 3.0) को उन्नत सुविधाओं के साथ लागू किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को किसी भी स्थान से प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज़ों तक पहुँच प्राप्त करने तथा उन्हें अपलोड करने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, शुल्क आदि के निर्बाध हस्तांतरण हेतु ई-भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई है। "राष्ट्रीय सेवा एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के ट्रैकिंग" (एन एस टी ई पी) प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रक्रिया समन जारी करने और समन की तामीली की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। साथ ही, एक "निर्णय खोज पोर्टल" का शुभारंभ किया गया है, जिसमें न्यायपीठ मुक़दमे के प्रकार, मुक़दमा संख्या, वर्ष, वादी / प्रतिवादी के नाम आदि के माध्यम से खोज की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। नागरिक-केन्द्रित सेवाओं तक सरल एवं सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश भर में 1814 ई-सेवा केन्द्र (सुविधा केन्द्र) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 21 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 29 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं।

उपाबंध-1

तारीख 01.08.2025 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर से संबंधित विवरण

(करोड़ रुपये में धनराशि)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (30.06.2025 को यथास्थिति)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.49	0.08	0.00
2	आन्ध्र प्रदेश	22.50	49.82	0.99	5.24
3	अरूणाचल प्रदेश	32.38	0.00	6.24	0.00
4	असम	25.00	40.00	40.75	0.00
5	बिहार	0.00	67.45	107.81	15.14
6	छत्तीसगढ़	60.00	6.69	45.35	7.75
7	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दादरा और नागर हवेली एवं दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	16.50	0.00
10	गोवा	25.00	1.53	14.27	0.00
11	गुजरात	6.22	95.62	51.34	0.00
12	हरियाणा	0.00	20.10	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	6.00	13.62	0.00
14	जम्मू-कश्मीर	12.60	12.00	31.50	0.00
15	झारखंड	16.51	40.81	14.57	3.99
16	कर्नाटक	82.01	133.16	73.92	0.00
17	केरल	0.00	7.00	45.89	0.00
18	लद्दाख	0.00	1.40	6.93	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	125.00	104.00	42.69	6.14
21	महाराष्ट्र	100.00	119.53	118.36	0.00
22	मणिपुर	12.85	0.00	3.71	0.00
23	मेघालय	50.00	33.72	35.79	0.00
24	मिजोरम	0.00	8.86	13.57	0.00
25	नागालैंड	0.00	4.39	4.00	0.00
26	ओडिशा	31.49	30.88	51.48	0.00
27	पुदुचेरी	9.55	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब	12.50	18.42	0.00	0.00
29	राजस्थान	71.66	80.41	58.35	12.22
30	सिक्किम	2.27	2.70	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	133.85	0.00	61.27	0.00
32	तेलंगाना	26.61	0.00	1.96	0.00
33	त्रिपुरा	0.00	40.49	20.00	0.00
34	उत्तराखंड	0.00	13.75	46.14	0.00
35	उत्तर प्रदेश	0.00	102.96	174.12	0.00
36	पश्चिमी बंगाल	0.00	18.00	22.22	0.00
	योग	858.00	1,060.17	1,123.40	50.48

पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार

उपाबंध-2

तारीख 01.08.2025 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर से संबंधित विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	न्यायालय हॉल की कुल संख्या	निर्माणाधीन न्यायालय हॉल की कुल संख्या *	आवासीय इकाइयों की कुल संख्या	निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की कुल संख्या *
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	15	0	11	0
2	आन्ध्र प्रदेश	661	97	661	13
3	अरूणाचल प्रदेश	34	6	32	3
4	असम	422	83	381	20
5	बिहार	1667	207	1242	296
6	चंडीगढ़	31	1	30	0
7	छत्तीसगढ़	495	74	473	776
8	दादरा और नागर हवेली एंव दमण और दीव	8	3	8	0
9	दिल्ली	739	0	331	70
10	गोवा	50	37	20	3
11	गुजरात	1509	106	1360	331
12	हरियाणा	589	75	599	65
13	हिमाचल प्रदेश	178	11	155	7
14	जम्मू-कश्मीर	209	45	146	8
15	झारखंड	652	13	611	24
16	कर्नाटक	1244	185	1198	45
17	केरल	575	111	566	20
18	लद्दाख	11	4	4	2
19	लक्षद्वीप	3	0	3	0
20	मध्य प्रदेश	1656	262	1781	119
21	महाराष्ट्र	2503	560	2202	144
22	मणिपुर	42	12	16	33
23	मेघालय	72	16	140	86
24	मिजोरम	47	32	38	8
25	नागालैंड	30	8	39	0
26	ओडिशा	905	156	769	101
27	पुदुचेरी	34	0	27	0
28	पंजाब	643	21	643	33
29	राजस्थान	1402	351	1180	122
30	सिक्किम	20	5	15	2
31	तमिलनाडु	1256	45	1386	11
32	तेलंगाना	552	23	472	6
33	त्रिपुरा	86	27	74	33
34	उत्तर प्रदेश	2892	366	2553	361
35	उत्तराखंड	253	69	212	4
36	पश्चिमी बंगाल	887	117	473	26
योग		22,372	3,128	19,851	2,772

*न्याय विकास पोर्टल के अनुसार
